माध्यस्थम विधि

प्रश्न १ पारिवारिक न्यायालयों कि स्थापना क उद्देश्य वैवाहिक व पारिवारिक मामलों में सुलह को बढ़ावा देना है टिप्पणीकिजिये

उत्तर

१विवाह और कौटुम्बिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह करानेऔर उनका शीघ्र निप टारा सुनिश्चित करने की दृष्टि

से कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का औरउससे संबंधित विषयों का उपबन्धकरने के लिएअधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

(क) न्यायाधीश" से कुटुम्ब न्यायालय का , यथास्थिति, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, अपर प्रधान न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

(ख) अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ग) विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(घ) कुटुम्ब न्यायालय" से धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के , जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में हैं ।

अध्याय 2

कुटुम्ब न्यायालय

3. कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना-(1) इस अधिनियम द्वारा किसी कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए , राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् और अधिसूचना द्वारा,-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य में किसी नगर या कस्बे के ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करेगी ;

(ख) राज्य में ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए , जिन्हें वह आवश्यक समझे, कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर सकेगी ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् , अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय परिसीमाएंविनिर्दिष्ट करेगी जिस तक किसी कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार होगा और ऐसी परिसीमाओं को किसी भी समय बढ़ा, घटा या परिवर्तित कर सकेगी ।

4. न्यायाधीशों की नियुक्ति-(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से , एक या अधिक व्यक्तियों को कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) जब कोई कुटुम्ब न्यायालय एक से अधिक न्यायाधीशों से मिल कर बनता है, तब-

(क) प्रत्येक न्यायाधीश, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा न्यायालय को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ;

(ख) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से , किसी भी न्यायाधीश को प्रधान न्यायाधीश और किसी अन्य न्यायाधीश को अपर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी ;

(ग) प्रधान न्यायाधीश , न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों के बीच न्यायालय के कारबार के वितरण के लिए समय-समय पर ऐसे इंतजाम कर सकेगा जा वह ठीक समझे ;

(घ) अपर प्रधान न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश का पद रिक्त होने की दशा में या जब प्रधान न्यायाधीश अनुपस्थिति , बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब-

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(क) वह भारत में कोई न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा संघ या राज्य के अधीन ऐसा कोई पद कम से कम सात वर्ष तक धारण कर चुका हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ;या

(ख) वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ;या

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, विहित करे ।

(4) न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय-

(क) यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया जाएगा कि उन व्यक्तियों का ही चयन किया जाए जो विवाह-संस्था की संरक्षा करने और उसे बनाए रखने तथा बालकों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो सुलह और परामर्श द्वारा विवादों का निपटारा कराने के अपने अनुभव और विशेषज्ञता के कारण अर्हितहैं ;और

(ख) महिलाओं को अधिमानता दी जाएगी ।

(5) कोई व्यक्ति, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, कुटुम्ब न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा और न्यायाधीश का पद धारण नहीं करेगा ।

(6) किसी न्यायाधीश को संदेय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करके विहित करे ।

5. समाज कल्याण अभिकरणों आदि का सहयोजन-राज्य सरकार , उच्च न्यायालय से परामर्श करके, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

हुए, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुटुम्ब न्यायालय के साथ निम्नलिखित के सहयोजन के लिए, नियमों द्वारा, उपबन्ध कर सकेगी-

(क) समाज कल्याण में लगी हुई संस्थाएं या संगठन या उनके प्रतिनिधि ;

(ख) कुटुम्ब के कल्याण की अभिवृद्धि में वृत्तिक तौर पर लगे हुए व्यक्ति ;

(ग) समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति ;और

(घ) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसके किसी कुटुम्ब न्यायालय के साथ सहयोजन से कुटुम्ब न्यायालय अपनी अधिकारिता का इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुसार अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकेगा ।

6. कुटुम्ब न्यायालयों के परामर्शदाता, अधिकारी और अन्य कर्मचारी-(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करके , कुटुम्ब न्यायालय के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और कुटुम्ब न्यायालय के लिए ऐसे परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी , जो वह ठीक समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परामर्शदाताओं के सहयोजन के निबंधन और शर्तें तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

अध्याय 3

अधिकारिता

7. अधिकारिता-(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए,-

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

(क) कुटुम्ब न्यायालय को, स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य पूर्ण अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग करेगा ;

(ख) कुटुम्ब न्यायालय के बारे में , ऐसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए , यह समझा जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र के लिए , जिस पर कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है , यथास्थिति, जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय है ।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा में निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियां निम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां हैं, अर्थात् :-

(क) किसी विवाह के पक्षकारों के बीच (विवाह को , यथास्थिति, अकृत और शून्य घोषित करने के लिए या विवाह को बातिल करने के लिए) विवाह की अकृतता या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन या न्यायिक पृथक्करण या विवाह के विघटन की डिक्री के लिए कोई वाद या कार्यवाही ;

(ख) किसी व्यक्ति के विवाह की विधिमान्यता के बारे में या उसकी वैवाहिक प्रास्थिति के बारे में घोषणा के लिए कोई वाद या कार्यवाही ;

(ग) किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी की सम्पत्ति की बाबत कोई विवाद या कार्यवाही ;

(घ) किसी वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में किसी आदेश या व्यादेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही ;

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(ङ) किसी व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में किसी घोषणा के लिए कोई वाद या कार्यवाही ;

(च) भरणपोषण के लिए कोई वाद या कार्यवाही ;

(छ) किसी व्यक्ति की संरक्षकता अथवा किसी अवयस्क की अभिरक्षा या उस तक पहुंच के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कुटुम्ब न्यायालय को-

(क) दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन (जो पत्नी , संतान और मात-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश के संबंध में है) किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्यअधिकारिता ;और

(ख) ऐसी अन्य अधिकारिता , जो किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उसको प्रदत्त की जाए,

भी होगी और वह उसका प्रयोग करेगा ।

8. अधिकारिता का अपवर्जन और लंबित कार्यवाहियां-जहां कोई कुटुम्ब न्यायालय किसी क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया है वहां-

(क) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय को, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, उस उपधारा के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी वाद या कार्यवाही की बाबत कोई अधिकारिता नहीं होगी या वह उसका प्रयोग नहीं करेगा ;

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(ख) किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन कोई अधिकारिता या शक्तियां नहीं होंगी या वह उनका प्रयोग नहीं करेगा ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के प्रत्येक ऐसे वाद या कार्यवाही का और दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन प्रत्येक ऐसी कार्यवाही का-

(i) जो ऐसे कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना से ठीक पहले , यथास्थिति, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय के समक्ष अथवा उक्त संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है ;और

(ii) जो ऐसे कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष या उसके द्वारा की जानी या संस्थित की जानी अपेक्षित होती यदि ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा वाद या कार्यवाही की गईथी या संस्थित की गई थी , पहले यह अधिनियम प्रवृत्त हो गया होता और ऐसा कुटुम्ब न्यायालय स्थापित हो गया होता,

ऐसे कुटुम्ब न्यायालय को ऐसी तारीख को अंतरण हो जाएगा , जिसको वह स्थापित किया जाता है ।

अध्याय 4

प्रक्रिया

9. समझौता कराने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य-(1) जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना संभव है वहां प्रत्येक वाद या कार्यवाही में कुटुम्ब न्यायालय सर्वप्रथम यह प्रयास करेगा कि वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु की बाबत किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों की सहायता की जाए या उन्हें

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

मनाया जाए और इस प्रयोजन के लिए कुटुम्ब न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि किसी वाद या कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर कुटुम्ब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच समझौते की युक्तियुक्त संभावना है , तो कुटुम्ब न्यायालय कार्यवाहियों को ऐसी अवधि के लिए , जो वह ठीक समझे , स्थगित कर सकेगा जिससे कि ऐसा समझौता कराने के लिए प्रयत्न किए जा सकें ।

(3) उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति , कार्यवाहियों को स्थगित करने की कुटुम्ब न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी न कि उसके अल्पीकरण में ।

10. साधारणतः प्रक्रिया-(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष वादों और [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न] कार्यवाहियों को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए कुटुम्ब न्यायालय को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध , किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात, किसी कुटुम्ब न्यायालय को वाद या कार्यवाहियों की विषय-वस्तु की बाबत किसी समझौते पर या एक पक्षकार द्वारा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अभिकथित और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यापित तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने की दृष्टि से अपनी प्रक्रिया अधिकथित करने से नहीं रोकेगी ।

11. कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना-ऐसे प्रत्येक वाद या कार्यवाही में , जिसे यह अधिनियम लागू होता है , यदि कुटुम्ब न्यायालय ऐसा चाहता है तो कार्यवाहियां बंद कमरे में की जा सकेंगी और यदि दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसा चाहता है तो कार्यवाहियां बंद कमरे में की जाएंगी ।

12. चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता-प्रत्येक वाद या कार्यवाहियों में , कुटुम्ब न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजनों के लिए किसी चिकित्सा विशेषज्ञ या ऐसे व्यक्ति की (अधिमानतः महिला की, यदि उपलभ्य हो) चाहे वह पक्षकारों का नातेदार हो या नहीं , जिसके अन्तर्गत कुटुम्ब के कल्याण की अभिवृद्धि में वृत्तिक तौर पर लगा हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसे न्यायालय उचित समझे, सेवाएं प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी ।

13. विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार-किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में कोई पक्षकार अधिकार के तौर पर इस बात का हकदार नहीं होगा कि उसका किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए :

परन्तु यदि कुटुम्ब न्यायालय न्याय के हित में यह आवश्यक समझता है तो वह किसी विधि विशेषज्ञ की न्याय-मित्र के रूप में सहायता ले सकेगा ।

14. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का लागू होना-कोई कुटुम्ब न्यायालय ऐसी किसी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, जानकारी या बात को, जो उसकी राय में किसी विवाद में प्रभावकारी रीति से कार्यवाही करने में उसकी सहायता कर सकेगी, चाहे वह भारतीय

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अधीन अन्यथा सुसंगत या ग्राह्य हो या नहीं, साक्ष्य के रूप में प्राप्त कर सकेगा ।

15. मौखिक साक्ष्य का अभिलेख-किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष वादों या कार्यवाहियों में , यह आवश्यक नहीं होगा कि साक्षियों का साक्ष्य विस्तार से अभिलिखित किया जाए किन्तु न्यायाधीश , जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा होती जाती है वैसे-वैसे साक्षी ने जो अभिसाक्ष्य दिया है उसके सारांश का ज्ञापन अभिलिखित करेगा
या अभिलिखित कराएगा और ऐसे ज्ञापन पर साक्षी और न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह अभिलेख का भाग होगा ।

16. शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य-(1) किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य , जो औपचारिक साक्ष्य है, शपथपत्र पर दिया जा सकेगा और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, किसी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेग ।

(2) यदि कुटुम्ब न्यायालय यह ठीक समझता है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसके शपथपत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा वाद या कार्यवाही के पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर ऐसा करेगा ।

17. निर्णय-किसी कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय में मामले का संक्षिप्त कथन , अवधार्य प्रश्न, उस पर उसका विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण होंगे ।

18. डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन-(1) किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या [दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश से भिन्न] आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का होता है और उसका निष्पादन उसी रीति से

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

किया जाएगा जो डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (1908 का 5) द्वारा विहित की गई है ।

(2) किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश का निष्पादन उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति से किया जाएगा ।

(3) किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन उस कुटुम्ब न्यायालय द्वारा , जिसने वह पारित किया था या ऐसे किसी अन्य कुटुम्ब न्यायालय या मामूली सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजा गया है ।

अध्याय 5

[अपीलें और पुनरीक्षण]

19. अपील-(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , किसी कुटुम्ब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या आदेश की , जो अन्तर्वर्ती आदेश नहीं है , अपील उच्च न्यायालय में तथ्यों और विधि, दोनों के संबंध में होगी ।

(2) कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित 1[किसी डिक्री या आदेश की या दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम , 1991 के प्रारंभ के पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी अपील या दण्ड प्रक्रिया

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगी ।]

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, किसी कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी ।

(4) उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसी किसी कार्यवाही का, जिसमें उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित कुटुम्ब न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, अभिलेख, उस आदेश को, जो अन्तर्वर्ती आदेश न हो, तथ्यता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है ।]

(5)] जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय, किसी कुटुम्ब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री की किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

3[(6)] उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील की सुनवाई दो या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ द्वारा की जाएगी ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

20. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना-इस अधिनियम के उपबंध , तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में तद्संगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

21. नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति-(1) उच्च न्यायालय , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगा जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात् :-

(क) कुटुम्ब न्यायालयों के प्रसामान्य काम के घंटे और अवकाश दिनों में और प्रसामान्य काम के घंटों केबाहर कुटुम्ब न्यायालयों की बैठकें करना ;

(ख) कुटुम्ब न्यायालयों की बैठकों के मामूली स्थानों से भिन्न स्थानों पर उनकी बैठकें करना ;

(ग) किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पक्षकारों की सहायता करने और उन्हें मनाने के लिए किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा किए जाने वाले प्रयास और अनुसरण की जानी वाली प्रक्रिया ।

22. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अन्य अर्हताएं विहित करते हुए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम , बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्तआनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

23. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति-(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन न्यायाधीशों को संदेय वेतन या मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनके अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) परामर्शदाताओं के सहयोजन के निबन्धन और शर्तें तथा धारा 6 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(ग) धारा 12 में निर्दिष्ट चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों की फीसों और व्ययों का (जिनके अन्तर्गत यात्रा व्यय हैं) राज्य सरकार के राजस्वों में से संदाय और ऐसी फीसों और व्ययों के मापमान;

(घ) धारा 13 के अधीन न्याय-मित्र के रूप में नियुक्त विधि व्यवसायियों की फीसों और व्ययों का राज्य सरकार के राजस्वों में से संदाय और ऐसी फीसों और व्ययों के मापमान ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(ङ) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित या उपबन्धित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम , बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

PGS National College Of La

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

प्रश्न २ लोक अदालत कि सरंचना और शक्तियों कि विवेचनाकिजिये

उत्तर २ "धर्म शास्त्रों का सन्देश है और मनीषियों का उपदेश है कि चाहे कोई स्तुति करे या निन्दा करे, धनलक्ष्मी रहें या विपन्नता की स्थिति उत्पन्न हो जाये , आज ही जीवन समाप्त हो या युगों तक विद्यमान रहें , बिना इनसे प्रभावित हुये धीर पुरुष न्याय के पथ से एक भी कदम विचलित नहीं होते हैं। " मानव सभ्यता की सम्पदा है, न्यायिक व्यवस्था की स्थापना। इसीलिये सबको समान न्याय की संकल्पना हमारे संविधान में समाविष्ट की गई है और प्रायः सभी न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख सिद्धान्त है। विधिशास्त्र की यह अवधारणा है कि समुचित न्याय सबको सुलभ होना चाहिये। न्याय की उपलब्धि सबको हो सके , इसी भावना से मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अनुच्छेद 7, 8 और 10 के अन्तर्गत यह भी पिरोया गया है कि विधिक सहायता (Legal Aid) की व्यवस्था को विकसित किया जाय। भारत के विधि आयोग की आख्या (14वीं) में भी तत्कालीन अध्यक्ष श्री एम० सी० सीतलवाड (भारत के पूर्व महान्यायवादी) ने निर्धन व्यक्तियों को समान न्याय की उपलब्धि का शंखनाद ध्वनित किया। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने चेतावनी दी

कि गरीबों को भी न्याय दिलाने की व्यवस्था में विधिक सहायता की योजना को अविलम्ब क्रियान्वित किया जाय। इसलिये इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी के 'स्वराज' की भावना को मूर्त रूप देने के लिये हमारे संविधान के 42वें संशोधन में अनुच्छेद 39-क को जोड़ा गया। इसके अनुसार समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता (Equal justice and free legal aid) नागरिकों को सुनिश्चित किये जाने के संकल्प को दोहराया गया है। ___ व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अकिंचन वार और दण्ड प्रक्रिया संहिता में पहले से ही न्याय मित्र की प्रावधानित की गयी थी किन्तु उससे अपेक्षित आदर्श की पूर्ति असम्भव है। इसीलिये नई योजनायें और नये कार्यक्रम की व्यवस्था को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 के द्वारा लोक अदालत की ऐच्छिक परिकल्पना जो गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों से क्रियान्वित की जा रही थी उसे

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

हमारे वर्तमान न्यायालयी व्यवस्था में पिरोया गया। लोक अदालतों की महत्ता व लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विशाखापट्टनम में स्टील प्लान्ट की स्थापना करते समय बाइस गावों की समस्त भूमि अर्जित कर ली गयी तो उसे लोक अदालत के द्वारा ही सुलझाया जा सका। आन्ध्र प्रदेश के 9046 गन्ना उत्पादकों के बीस वर्षों तक के लम्बित विवाद का हल लोक अदालत के माध्यम से ही कर लिया गया। - अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर भी अनुकल्पी विवाद निपटारा की व्यवस्था को अंगीकृत किया जा चुका है। इंग्लैण्ड में चांसरी कोर्ट तथा साम्या का सिद्धान्त उसी के पहल का दृष्टान्त है। अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय अनुकल्पी विवाद निस्तारण (ICAOR) के संकल्पों की पृष्ठभूमि में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जान एफ० कनेडी के उद्घाटन भाषण (दि० 20.1.1961) के उस उद्घोष को दोहराया गया जिसमें उन्होंने कहा था "हमें भयभीत होकर वार्ता नहीं करनी चाहिये किन्तु वार्ता करने से भयभीत नहीं होना चाहिये (Let us never negotiate out of fear but let us never fear to negotiate)।)

(भारत में लोक अदालतों का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में आरम्भ हुआ। महात्मा गांधी के शिष्य श्री हरिवल्लभ पारिख ने रंगपुर के आदिवासियों के कष्टप्रद व दयनीय दशा को देखकर शोषण व अत्याचार से बचाने के उद्देश्य से उपचार प्रदान करने हेतु 1949 में लोक अदालतों का प्रयोग किया। यह व्यवस्था काफी प्रभावी रही। 1960 तक इसका कोई अभिलेख नहीं रखा जाता था।

स्वामी हरिवल्लभ ने गाँव-गाँव पदयात्रा करके इसे एक जनान्दोलन के रूप में प्रसारित किया। जिसके फलस्वरूप आनन्द निकेतन आश्रम अस्तित्व में आया। आरम्भ में स्वामी जी ने आदिवासी, संथाल, भील, बला और मुण्डा आदि के

(iii) सामाजिक नियमा व परम्पराआ क मामला का ||१८|

IIT आरम्भ में लोक अदालत का संगठन-शुरु-शुरु में मौखिक न्याय व्यवस्था थी , लेकिन स्वामी हरिवल्लभ ने

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

(1) चल लोक अदालत, (2) केन्द्रीय लोक अदालत,

(3) आधुनिक संगठन विकसित किया। - चल लोक अदालत (Mobile Lok Adalat)- 1950-55 तक। यह व्यक्तिगत स्तर पर था। व्यक्तिगत व सामूहिक पद यात्राओं द्वारा समस्याओं की जानकारी की जाती थी तथा हल निकाला जाता था। स्वामी जी जहां स्वयं उपस्थित रहते थे वहां वही लोक अदालतों के केन्द्र बिन्दु होते थे।

गाँव स्तर पर विवादों के निपटारे के लिये(i) अध्यक्ष (स्वामी हरिवल्लभ) (ii) पंच (गाँव के प्रमुख लोग) (iii) उपस्थित समुदाय।

होते थे। अध्यक्ष पंचों की राय लेते थे तथा जन समुदाय की राय लेकर पक्षों में समझौता करा देते थे। जो विवाद नहीं सुलझ पाते थे उनके लिये नियत तिथि पर आश्रम में उपस्थित होना पड़ता था।

धीरे-धीरे संगठन का स्वरूप बदला। अब पद यात्रायें कम होने लगीं। ग्राम स्तर पर भी लोक अदालतों का विस्तार हो गया , साथ ही साथ केन्द्रीय लोक अदालत आश्रम में आयोजित की जाने लगी।

केन्द्रीय लोक अदालत-स्वामी हरिवल्लभ इसके अध्यक्ष थे, वे केवल मार्गदर्शक का कार्य करते थे जैसे

(i) विवादों को स्पष्ट करना, (ii) सत्य जानकारी लेना व सक्रिय रूप से मदद करना , (iii) निर्णय लेने के समय आयी गुत्थियों को सुलझाना , (iv) करार खत तैयार करना, (v) अन्य आवश्यक मार्ग दर्शन करना। मंत्री-केन्द्रीय लोक अदालत का मंत्री आश्रम का गैर आदिवासी कार्यकर्ता होता था। इसका कार्य था(1) विवादों को पंजीकृत करना, (2) विवादों की सामान्य जानकारी प्राप्त करना , (3) सम्बन्धित पक्षों से पत्र , व्यवहार करना, (4) कार्यालय के कार्य देखना, (5) विवादों को प्रस्तुत करना तथा अध्यक्ष की सहायता करना। प्रो० उपेन्द्रबक्शी के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मंत्री विवादों को सुलझा सकता था।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

आधुनिक संगठन का विकास-धीरे-धीर 1966 में जरी व्यवस्था का विकास शुरु हुआ। दोनों पक्षों की ओर से जूरी के लिये नाम मांगे जाते थे। सभा की राय से अध्यक्ष द्वारा जूरी की नियुक्ति की जाती थी। दोनों पक्षों से दो-दो लोग होते थे। जूरी सभा से अलग जा कर दोनों पक्षों की राय सुनते थे तथा विचार विमर्श करके निर्णय करते थे। विवाद निपटाने के बाद करार खत पर जूरी के हस्ताक्षर होते थे। जूरी की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि दोनों पक्ष मात्र निर्णय को स्वीकार ही न करें बल्कि उस पर अमल भी करें। इसलिये जूरी का गठन ईमानदार , सहनशील व उज्जवल चरित्र के लोगों से किया जाता था। __ माननीय न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती महोदय ने गुजरात में लोक अदालतों का आयोजन आरसा किया। उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त होने पर श्री भगवती महोदय ने लोक अदालतों के

/ इस अधिनियम के पारित किये जाने के पश्चात् लोक अदालतों के सम्बन्ध में स्पष्ट व विस्तृत प्राविधान किये गये और लोक अदालतों के निर्णयों को सिविल न्यायालयों के डिक्री के रूप में मान्यता दी गयी है। यह व्यवस्था की गयी है कि लोक अदालतों के निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे तथा उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

लोक अदालतों का आयोजन एवं गठन-अधिनियम की धारा 19 खण्ड (1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या ताल्लुका विधिक सेवा समिति ऐसे अन्तराल पर , ऐसे स्थान पर इस प्रकार की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये लोक अदालतों का गठन कर सकते हैं।

गठन-धारा 19 (2) के अनुसार प्रत्येक लोक अदालत के गठन में(1) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(2) उस क्षेत्र के अन्य व्यक्ति , जिनके राज्य प्राधिकरण , जिला प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा निश्चित किये जायें।

जब समझौता करना सम्भव न हो / i) धारा 20 (5) के अनुसार लम्बित मामलों में यदि लोक अदालत द्वारा कोई पंचाट इसलिये नहीं दिया गया है , क्योंकि पक्षकारों में कोई समझौता या समाधान करना सम्भव नहीं है, तब यह उस मामले के

अभिलेख को पुन: उसी न्यायालय को निपटारे के लिये प्रेषित कर देगी , जिसने उसे मामले के निपटारे हेत निर्देश किया था। 4 (ii) ऐसे मामले जिनको न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया था, उनको यदि लोक अदालत ने किसी पक्षकार के आवेदन पर संज्ञान में लिया था, परन्तु पक्षकारों में समझौता न हो पाने के कारण लोक अदालत पंचाट नहीं देती है , तब धारा 20 (6) के अनुसार पक्षकारों को न्यायालय में उपचार प्राप्त करने की सलाह 'देगी।

लोक अदालत का पंचाट-धारा 21 (1) के अनुसार लोक अदालत के पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जायेगा एवं जहाँ लोक अदालत द्वारा कोई समझौता या समाधान करवाया गया हो वहां पर न्यायालय में दिया गया न्यायालय शुल्क, न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अनुसार वापस लौटा दिया जायेगा।

धारा 21 (2) के अनुसार लोक अदालत का चाट सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और किसी भी पंचाट के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। पंजाब नेशनल बैंक बनाम लक्ष्मी चन्द राय के निर्णय के अनुसार लोक अदालत के पंचाट के विरुद्ध अपील सी० पी० सी० की धारा 96 के अन्तर्गत भी नहीं की जा सकेगी।

लोक अदालत की शक्तियाँ-धारा 22 के अनुसार लोक अदालत को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(i) किसी गवाह को बुलाना, उसकी उपस्थिति को निश्चित करना तथा शपथ पर गवाह का

परीक्षण, (ii) किसी भी दस्तावेज की खोज एवं उसका प्रस्तुतीकरण, (iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, (iv) किसी अभिलेख या दस्तावेज को या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति को किसी भी स न्यायालय या कार्यालय से अर्जित करना और

(v) अन्य बातें जिन्हें विहित किया जाये। प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति--धारा 22 (2) के अनुसार उपरोक्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक अदालत को अपने सम्मुख आये किसी विवाद का निर्धारण करने के लिये अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु अपेक्षित शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

प्रश्न ३ वैकल्पिक विवाद समाधान क्या है इसके लाभ को समझाइये

उत्तर ३संस्थागतवैकल्पिक विवाद निवारण (Institutional ADR)-आजकल प्रायः विशिष्ट प्रतिष्ठित संस्थाओं को माध्यम के रूप में पसन्द किया जा रहा है। ऐसी संस्थायें और अभिकरण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किये जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागतमाध्यस्थम् हेतु मुख्य संस्था अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल (Internatinal Chamber of Commer. I.C.C.) तथा भारतीय स्तर पर भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (ICA) जैसी संस्थायें महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर रही है। इन संस्थाओं के द्वारा विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करके विशेष प्रशिक्षण देकर माध्यस्थम् एवं सुलह कराने वाले व्यक्तियों को तदर्थ नियुक्त किया जाता है।

भारतीय माध्यस्थम् परिषद् के अतिरिक्त एक वैकल्पिक विवाद निवारण केन्द्र (A.D.R. Centre) भी स्थापित हो चुका है जिसके द्वारा कुशल एवं अनुभवी विशेषज्ञों को उपलबध कराकर विवादों का निपटारा कराया जाता है। इससे न्यायिक विधि विलम्ब एवं व्यय भार से पक्षकारों को बचाया जा सकता है। आज के विकसित अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के निपटाने हेतु वैकल्पिक विवाद निवारण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (I.C.A.D.R.) महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल है।

निदर्शक वाद संख्या (1) मिस्टीइन्टरप्राइजेजबनाम मेसर्सब्रिटानियाँइन्जीनियरिंगप्रोडक्ट्सएण्डसर्विसेजलि.(ए० आई० आर०) 1993 कल० 272 बाद का परिचय

यह मामला पुराने (निरसित) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की धारा 8 के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है। इस धारा के प्रावधान के अनुसार (पुराने माध्यस्थम् विधि के अन्तर्गत) पक्षकारों के माध्यस्थम करार किये जाने)

की दशा में, उनकी सहमति के द्वारा मध्यस्थ अधिनिर्णायक की नियुक्ति न होने पर या मध्यस्थ के नियुक्त होने के बाद उसके द्वारा इन्कार करने पर न्यायालय को यह

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं मध्यस्थता की नियुक्ति कर सकेगा। इसी प्रकार का आवेदन इस मामले में भी विचाराधीन था वाद के तथ्य एवं निर्णय

याची के द्वारा इस मामले में दूसरे पक्षकार के प्रतिनिधि (चेयरमैन व मैनेजिंग डाइरेक्टर) को तीन बार पत्र लिखकर विवादित मामले के निस्तारण हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया गया। किन्तु दूसरे पक्षकार की ओर से कोई पहल नहीं की गयी। जब तीन-तीन पत्रों को प्रेषित करने के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं हो सकी, तब 21 सितम्बर, 1991 को न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया, तब प्रत्यर्थी के द्वारा दो आपत्तियाँ उठायी गयी। सर्वप्रथम यह कहा गया कि जिस विवाद का हवाला याची के प्रार्थना पत्र में दिया गया है उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद नहीं। दूसरी आपत्ति यह की गयी कि मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु जिस प्रारूप का उल्लेख माध्यस्थम् करार में है। उसमें माध्यस्थम् की नियुक्ति की जो प्रक्रिया दी गयी है वह अभी विफल नहीं हुई है। इन दोनों तर्कों को न्यायालय ने अमान्य कर दिया, क्योंकि माध्यस्थम् खण्ड इतना विस्तृत है कि उसमें सभी प्रकार के विवाद माध्यस्थम् योग्य है। दूसरी आपत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय ने कहा कि भुगतान के मामले में जब अध्यक्ष और प्रबन्ध निर्देशक के द्वारा तीन-तीन पत्र पाने पर भी मध्यस्थ की नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की गयी , तो उस दशा में न्यायालय की अधिकारिता मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये स्वतः जागृत हो जायेगी। इस मामले में भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार संयाल , ए० आई० आर० 1997 सु० को० 1457 का उद्धरण भी दिया गया जिसमें पक्षकारों की विफलता की दशा में न्यायालय द्वारा स्वेच्छा से मध्यस्थ की नियुक्ति का अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया है। इसी अनुक्रम में वेद प्रकाश मित्तल बनाम भारत संघ , ए० आई० आर० 1984 दिल्ली 325, के निर्णय का भी उल्लेख किया गया जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि जब मुख्य अभियन्ता की पहल पर मध्यस्थ की नियुक्ति का तन्त्र विफल हो गया , तो उसके बदले माध्यस्थम्

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

अधिनियम, 1940 (निरसित) की धारा 20 (4) के अवशिष्ट अधिकारों में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति न बनने पर मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकती है। अन्ततः प्रत्यर्थी द्वारा की गयी आपत्ति को निराधार एवं अनुचित मानकर न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश (श्रीमती मंजुला बोस) को मध्यस्थ नियुक्त करने का आदेश दे दिया गया तथा छः महीने के भीतर निर्देशन के उपरान्त पंचाट देने की सिफारिश भी की। प्रतिपादित सिद्धान्त

(1) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की धारा 8 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है , इसके किसी एक पक्षकार के उदासीनता या व्यतिक्रम करने पर न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिये अधिकृत होता है।

(2) पुराने माध्यस्थम् अधिनियम , 1940 की धारा 20 (4) के अन्तर्गत पक्षकारों के द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने में विफलता की दशा में भी अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करके न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकती है , क्योंकि उस अधिनियम की धारा 20 (4) में यह प्रावधानित है कि जहां मध्यस्थ के बारे में प्रक्षकार सहमत न हो सकें वहां न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति एवं निर्देशन किया जा सकता

4 जुलाई, 1997 को यह आदेश पारित किया गया था कि मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। मुख्य न्यायाधीश ने यह पाया था कि माध्यस्थम् खण्ड में उल्लेख किये जाने के बाद भी अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थों के नाम की सूची प्रस्तुत नहीं की थी। मामले की अपील उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति जगन्नाथ राव एवं न्यायमूर्ति बाल कृष्णन की खण्डपीठ के समक्ष लम्बित थी। भारत के विद्वान महाधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मध्यस्थ के नियुक्ति के मामले को प्रारम्भिक बिन्दु मानकर विनिश्चय किया गया है तथा उन्होंने इसे प्रशासनिक आदेश माना जो उचित नहीं है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कोंकण रेलवे लि० बनाम मेहल के वाद का

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

निर्णय प्रस्तुत करते हुये मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश को प्रशासनिक आदेश होने का उद्धरण दे करके अपील का प्रतिवाद किया गया। विद्वान महाधिवक्ता ने मेहुल के निर्णय पर पुनर्विचार करने का तर्क प्रस्तुत किया।

इस मालले में विभिन्न निर्णयों का सन्दर्भ भी दिया गया तथा अन्य राष्ट्रों की समवर्ती परम्पराओं का भी उल्लेख किया गया , जिसमें मध्यस्थ के नियुक्ति के प्रावधान को प्रारम्भिक स्तर पर न्यायिक रूप से निर्णीत समझा गया था। इसलिये भारत में भी न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश को न्यायिक माना जायऔर तदनुसार अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत विचारार्थ उपयुक्त माना जाय। निर्णय महाधिवक्ता श्री साल्वे के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विधि आयोग के आदर्श विधि में शब्द "मुख्य न्यायाधीश' या उसका नामोदिष्ट व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिये नियुक्ति के कृत्य को न्यायिक कार्य समझे जाने का संकेत है न कि व्यक्तिगत रूप में किया गया कार्य। निर्णय में यह भी कहा गया है कि माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 11 में मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश न्यायिक आदेश मान लेने से अपील केवल एक ही स्तर पर अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत संधार्य होगी।

इस मामले में कोंकण बनाम मेहल के तीन न्यायमूर्तियों के खण्डपीठ के द्वारा जो यह तर्क दिया गया था कि नियुक्ति का मामला प्रशासनिक होने से समय की बचत होगी , इस तर्क को इस वाद में अस्वीकार करने के लिये इंगित किया गया। न्यायालय से यह भी निवेदित किया गया कि यदि मेहल मामले के निर्णयानुसार नियुक्ति का आदेश प्रशासनिक माना जायेगा, तो विलम्बकारी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मामले को और भी अधिक लटकाया जाया सकेगा।निर्णय-सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भरूचा, न्यायमूर्ति कादरी, बनर्जी, बैरियावा तथा न्यायमूर्ति पाटिल की पाँच सदस्यीय खण्डपीठ ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों का संदर्भ देते हुये यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके नामोदिष्ट व्यक्ति

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति न्यायिक कृत्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट व्यक्ति जब अधिनिमय की धारा 11 में वर्णित शक्ति का प्रयोग करते हुये मध्यस्थ की नियुक्ति करता है तब न्यायालय की भाँति कार्य नहीं करता है। इस कारण से उक्त कथित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (अनु० 136 के अन्तर्गत) नहीं दाखिल की जा सकती है।

न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 11 में मुख्य न्यायाधीश शब्द का प्रयोग है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विधि आयोग के आदेश विधि के अनुच्छेद 11 में न्यायालय शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार दोनों प्रावधानों के मध्य विचलन स्पष्ट है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत माध्यस्थम् अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार के बारे में विनिश्चय करने का अधिकार है और उसके आदेश से क्षुब्ध पक्षकार अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष माध्यस्थम् अधिकरण की अधिकारिता को चुनौती दे सकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की योजना द्वारा माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि आदर्श विधि के प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों को नियंत्रित नहीं करते

हैं।

यदि मुख्य न्यायाधीश उसके नामोदिष्ट व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया मध्यस्थ किसी कारण से स्वतन्त्र या निष्पक्ष न रह जाय तो उसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 12 एवं 13 के अन्तर्गत चुनौती दी जा सकती

प्रतिपादित विधि सिद्धान्त

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

(1) माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके नामोदिष्ट व्यक्ति द्वारा की गयी मध्यस्थ की नियुक्ति एक प्रशासकीय कृत्य है। अत: इसे संविधान के अनु० 136 के अन्तर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय (कोंकण रेलवे बनाम मेहुल) को ही पुन: संपुष्ट किया।

(2) माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम , 1996 के प्रावधान आदर्श विधि से प्रेरित हैं परन्तु भिन्नता भी

(3) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये निर्मित योजना अधिनियम की धारा 11 को शासित नहीं करती है।

(4) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके नामोदिष्ट व्यक्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के स्वतन्त्र अथवा निष्पक्ष न रहने की दशा में अधिनियम की धारा 12 एवं 13 में चुनौती दी जा सकती है।

(5) यदि उपरिकथित प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों की अवधि के अवसान के पूर्व ही मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी गयी है तो यह माध्यस्थम् अधिकरण की अधिकारिता को धारा 16 के अन्तर्गत चुनौती देने का आधार होगा।)

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.